



2026:AHC:124595

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या – 15010 वर्ष 2026

दारोगा महेश

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

साथ में :

1 अन्य संबद्ध वाद

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी,

राज्य की ओर से आज दाखिल किया गया प्रतिशपथ पत्र तथा आवेदक की ओर से आज दाखिल किया गया प्रत्युत्तर शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) की दलीलें सुनी गईं तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकों दारोगा महेश तथा दारोगा लोकेन्द्र साहू की ओर से पृथक-पृथक इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं कि उन्हें वाद अपराध संख्या 87 वर्ष 2026, धारा 308(5), 308(6), 351(3), 127(2) बी.एन.एस. तथा धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ, में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

जमानत याचिका संख्या 15010, वर्ष 2026

2

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठे एवं निराधार आरोपों के आधार पर इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदकगण ने न तो शिकायतकर्ता/विपक्षी पक्ष से किसी प्रकार की रंगदारी की धनराशि की मांग की और न ही उससे कोई धनराशि प्राप्त की। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक सरकारी कर्मचारी हैं जो ईमानदारी से अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और अपनी सेवा के दौरान उनके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं की गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कथित घटना 08.12.2025 को हुई थी, जबकि एफ.आई.आर. बिना किसी स्पष्ट कारण के देरी से 10.02.2026 को दर्ज कराई गई। यह भी कहा गया है कि आवेदकों के पास से या उनके बताए अनुसार कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। इस मामले के अलावा आवेदकों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वे 21.02.2026 से न्यायिक हिरासत में हैं। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, आवेदक जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और मुकदमे की कार्यवाही में पूरा सहयोग करेंगे।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि जमानत आवेदन को निरस्त करने संबंधी विवादित आदेश में कोई विधिक त्रुटि अथवा अवैधता नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में स्पष्ट रूप से अंकित है तथा उनके विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं। अतः विद्वान ए.जी.ए. ने वर्तमान जमानत आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत, इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया मत है कि आवेदकगण के विरुद्ध केवल सामान्य एवं अस्पष्ट भूमिका आरोपित की गई है। वर्तमान चरण पर ऐसा कोई ठोस अथवा प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे आवेदकगण को कथित अपराध से स्पष्ट रूप से संबद्ध किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आवेदकगण तीन माह से अधिक अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं तथा विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना परिलक्षित नहीं होती। राज्य की ओर से भी ऐसा कोई युक्तिसंगत आधार या आशंका प्रस्तुत नहीं की गई है कि यदि आवेदकगण को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, विचारण की कार्यवाही में विलंब

जमानत याचिका संख्या 15010, वर्ष 2026

3

उत्पन्न करेंगे अथवा गवाहों को प्रभावित या भयभीत करेंगे। अतः प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का मत है कि आवेदकगण जमानत पर रिहा किए जाने के अधिकारी हैं। फलस्वरूप, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए जाते हैं।

उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- दरोगा महेश और दरोगा लोकेन्द्र साहू, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर इन शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है कि:

- (i) वह परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे;
- (ii) अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा।

ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष इस अदालत में जमानत रद्द करने की अर्जी देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति, जय प्रकाश तिवारी)

2 जून, 2026

ब्रजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।